18.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा प्रकरण संख्या 16/2014 अन्तर्गत धारा 14 राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में धारा 23 राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 के तहत प्रस्तुत की है। यह कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 की धारा 14 के तहत वास्तविक गलतियों एवं लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने हेतु रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा प्रकरण संख्या 16/2014 दर्ज किया जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 07.02.2019 को निर्णय पारित करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। यह कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2019 के विरूद्ध राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 की धारा 23 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 की धारा 23 के अनुसार– **23. Appeals.** - (1) The State Government or any person aggrieved by any decision or order of the authorised officer under sub-section (3) of section 12 [or sub-section (3) of section 11B] or under sub-section (3) of section 19 or under section 21 may, within thirty days of the date of decision or order, appeal to the Collector of the concerned district against such decision or order. चूंकि अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा प्रकरण संख्या 16/2014 राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 की धारा 14 के तहत पारित निर्णय दिनांक 07.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 की धारा 23 के अन्तर्गत परिपोषणीय प्रतीत नहीं होती है। यह कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 की धारा 14 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत में रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो वाद सुनवाई पक्षकारान खारिज किया गया था। यह कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 47 नियम 7 के तहत यदि रिव्यू प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय द्वारा खारिज किया जाता है तो उसके विरूद्ध अपील करने का प्रावधान नहीं है। चूंकि इस प्रकरण में भी अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के उपरान्त राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 की धारा 23 के तहत अपील प्रस्तुत की है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 47 नियम 7 के प्रावधानों के तहत परिपोषणीय प्रतीत नहीं होती है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील परिपोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner